

अन्तिम पर्चा-डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलक्टर (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
अनवान :-

1. इन्द्रचन्द पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादी

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सुन्दरलाल पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर।
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 288 सन 2019 निर्णय दिनांक
वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण (आर0ए0एस0) उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री विजयसिंह कडवासरा व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर रोही मौजा चक दलपतपुरा के खाता स0 86/88 के खसरा न0 21/1 की कुल 3.0350 है भूमि जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 के नाम सयुक्त तौर से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज का खाता विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की आपसी सहमति/राजीनामा एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1269 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

A- इन्द्रसिंह पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी नोहर 1/3 हिस्सा खातेदार:- खसरा न0 21/1 में से रकबा 1.012 है0

B-सुन्दरलाल पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी नोहर 2/3 हिस्सा खातेदार:- खसरा न0 21/1 में से रकबा 2.023 है0

(नजरी नक्शा अंकित पासा के अनुसार)

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/-रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव एवं नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


(सत्यनारायण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)